YOGESH YADAV (Advocate) Ch. No. Tehsil Sadar (Ghaziabad)

IN-UP47801050746855W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IV - 309

ANUJ KUMAR GARG LIC. TEHSIL GHAZIABAD

Certificate No.	:	IN-UP47801050746855W
Certificate Issued Date	:	10-May-2024 02:52 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14010604/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14010604917850229597 38W
Purchased by	:	AKSHAY EDUCATIONAL DEVELOPMENT TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AKSHAY EDUCATIONAL DEVELOPMENT TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	AKSHAY EDUCATIONAL DEVELOPMENT TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	800 (Eight Hundred only)

LOCKED BY
S.R.O. IInd
Ghaziabad

Please write or type below this line

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad

0026448627

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

-: ट्रस्ट डीड :-

-: स्टाम्प अंकन 800/-रूपये का :-

1- **ट्रस्ट का नाम:-** "अक्षय एजुकेशनल डवलपमेन्ट ट्रस्ट"।

2- **पंजीकृत कार्यालय :-** ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय :- डी-ब्लॉक, प्रताप विहार, खोडा कालौनी, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित होगा, जो आवश्यकतानुसार किसी अन्य स्थान पर बदला जा सकता है।

3- **कार्यक्षेत्र :-** सम्पूर्ण भारतवर्ष।

4- **ट्रस्ट का उद्देश्य :-**

(1) शिक्षा के विकास हेतु शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान, प्राविधिक, वोकेशनल व तकनीकी शिक्षण संस्थान, उच्चतर विधालय, तकनीकी महाविधालय, विश्वविधालय व डीम्ड विश्वविधालय आदि की स्थापना करना।

(2) गरीबों की सहायता हेतु धर्मार्थ, चिकित्सालय आदि की स्थापना करना।

(3) धर्मशाला, मन्दिर व अन्य धर्मस्थलों की स्थापना करना।

(4) कम्प्युटर शिक्षा के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

(5) छात्रों के मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालयों की स्थापना करना।

(6) छात्रों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मनोरंजन केन्द्रों, व्यायामशालाओं की स्थापना करना।

(7) भूकम्प, बाढ व अन्य प्रकार में पीडित व्यक्तियों की सहायता करना।

(8) गरीब/निर्धन कन्याओं के उचित शिक्षा, वैवाहिक संस्कार सम्पन्न कराना।

(9) गरीब बच्चों/छात्रों को पुस्तक व शिक्षण सामग्री वितरित करना।

(10) निर्धन व गरीब लोगों के लिए जगह-जगह चिकित्सा सम्बन्धी कैम्प लगाए जाना व दवाईयों का वितरण करना।

(11) असहाय गरीब निर्बल एवं अनाथ बच्चों की परवरिश करने हेतू अनाथालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

(12) असहाय व वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल एवं रखरखाव करने हेतू वृद्ध आश्रमों की स्थापना एवं संचालन करना।

(13) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अन्य आवश्यक कार्य करना व चंदा, दान, ऋण अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करना व भूमि, भवन तथा चल अचल सम्पत्ति को अनुदान में प्राप्त करना, क्रय करना, व्यवस्थित रखना, हस्तान्तरण अथवा पट्टे या किराये पर लेना व बन्धक रखना व अन्य साधनों से नियमानुसार हस्तान्तरण करना व ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय एवं सभी सरकारी एवं गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों से अनुदान व ऋण प्राप्त करना।

(14) किसी भी प्रकार मनुष्य, प्राणी, जीव-जन्तु के हित में कार्य करना/सहायता करना।

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad

<u>ट्रस्ट के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य :-</u>

1- समय व परिस्थिति के अनुसार अपने समाज को भी पूर्ण से संगठित करना वार्ड, मंडल, शहर, जिला तथा एन.सी.आर.और प्रदेश स्तर पर अलग-2 कमेटियां बना कर संस्था नियमों के अनुसार संचालित करना/समाज के गरीब बच्चों की शादी मे आवश्यकतानुसार यथा सम्भव मदद करना, परिवार की इच्छा के अनुरूप सम्भव हो तो सामुहिक जोडों की शादी कराना. बिना दहेज शादी के लिए समाज के लोगों को प्रेरित करना।

2- समाज के लिए भवन निर्माण हेतु संस्था द्वारा भूमि का क्रय करना, भूमि को दान में लेना, सरकारी सहयोग से भूमि प्राप्त करना, समय व परिस्थिति के अनुसार संस्था का भूमि का विक्रय करना।

3- एच.आई.वी.तथा एड्स जैसी खतरनाक, बीमारियों के बारे मे लोगों को जागरूक करना, इन बीमारियों से बचाव एवं उपचार करना।

4- निःशुल्क कानूनी मदद प्रदान करना, विचार-विमर्श एवं सलाह विशेषकर उन लोगों को देना जो न्यायिक प्रक्रिया द्वारा परीक्षण/परखें जा रहे हैं, व्यसनी है तथा उनके परिवारजन।

5- स्वास्थ्य, रक्तदान, आदि शिविरों का आयोजन करके जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार देना।

6- दूसरी संस्थायें जो इस तरह की परोपकारी सेवाओं में संलग्नर हैं, उनको प्रशिक्षण एवं समन्वयन सेवायें देना।

7- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाओं का प्रचार प्रसार करना, विशेषकर व्यसनी एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का।

8- अक्षम एवं विकलांगजनों तथा निर्धन/अनाथ बच्चों के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

9- कोई भी ऐसा कार्य/योजना जो समाज के लिए हितकारी, कल्याणकारी और परोपकारी हो।

10- शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्य क्षेत्र मे प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कॉलेज, सी.बी.एस.ई.बोर्ड से मान्यता लेना, आवश्यकता होने पर डिग्री कॉलेज, तकनीकी संस्थान, चिकित्सा संस्थान तथा तकनीकी एवं दूरस्थ शिक्षा, ग्रामोद्योग व कृषि शिक्षा इंजीनियरिंग संस्थाओं आदि की स्थापना करना और उनका विधिवत संचालन कर बालक, युवक, युवतियों की स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना।

11- असहाय बच्चों को शैक्षणिक, भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और निःशुल्क स्वास्थ्य केन्द्रों, बाल आश्रम, वृद्धा आश्रम व शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना।

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad

12- केन्द्रीय व राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वस्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिंग, कला प्रशिक्षण तथा टंकण, आशुलिपि, कम्प्युटर, साफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग एवं फैशन डिजाइनिंग एवं ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना।

13- महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पिछडे एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ, शिशु, पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों आदि को चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की रोजगार प्रूरक, प्रशिक्षण देना।

14- पेयजल समस्या को दूर करने एवं शुद्व पेयजल की व्यवस्था हेतु जरूरी व्यवस्था करना।

15- नागरिकों के कल्याणार्थ वर्ल्ड बैंक, के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं का सफल संचालन व उनकी उन्हें जानकारी देना।

16- नेत्रदान शिविरों, रक्तदान शिविरों के आयोजन शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरान्त करना।

17- निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछडे क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे- स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, इंडकों, महिला एवं बाल विकास विभाग, कटाई, काई, सिप्सा, नवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा राष्ट्रीय महिला कोष बाल विकास पुर्नवास महिला कल्याण निगम, वस्तुशिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कलयाण, सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयें, मत्सय विभाग, राजीव गांधी फाउंडेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, अनुवित्त विकास निगम, उद्योग निदेशालय, लघु उद्योग निदेशालय, अल्प संख्या आयोग/बोर्ड, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू युवा योजना आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यक्रमों तले चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।

18- समाज के अपक्षित लोगों जैसे अंधे, कुष्ठरोग व मूक बधिरों, विक्लांगों व निराश्रित लाचार, वृद्वजनों के कल्याण के लिए कार्य करना व बालाश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना और समय-समय पर दूध, वस्त्र, अनाज, कम्बल, फलों व दवाओं का निःशुल्क वितरण करना एवं रैन बसेरों, शौचालयों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करना।

Principal
Senior Secondary School
tap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad

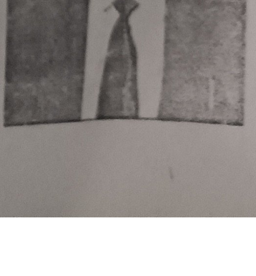

19- देवीय आपदाओं जैसे बाढ, सूखा, भूकम्प, आगजनी, एक्सीडेंट आदि के समय पीडित जनता के मध्य राहत कार्य करना, उन्हें दवा भोजन, वस्तु आदि की मदद पहुँचाना।

20- ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लघु व कुटीर उद्योग की स्थापना कर श्रमिकों व बेरोजगारों को निःशुल्क रोजगार दिलाने का प्रयास करना तथा शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु कच्चा माल खरीदना एवं तैयार माल को विक्रय करना प्राप्त आय को संस्था हितार्थ व्यय करना।

21- सरकारी, गैर सरकारी अद्ध सरकारी विभागों, मंत्रालयों उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग निगम, सरकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों से आर्थिक सहायता, ऋण व अनुदान सेवा एवं अन्य सहयोग लेना।

22- वृक्ष रोपण, प्रदूषण नियंत्रण, जनसंख्या केन्द्रों आदि का संचालन करना।

23- कृषकों को बढावा देना तथा मशरूम की खेती करना, देशी खाद्य, कम्पोज खाद्य, बीज एवं कीटनाशक, औषधियों का निर्माण करना तथा कृषि प्रधान देश मे किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान मे रखते हुए कृषि नीति तैयार करना व कृषि उन्नति को बढावा देना। किसानों मे भाईचारें की भावना पैदा करना एवं समस्याओं को सुलझाना व शासन, प्रशासन तक पहुंचाना। मानवीय स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधियों, दवाओं का निर्माण करना।

24- संस्था का उद्देश्यों पशुधन जानवरों के स्वास्थ, संरक्षक, संबर्द्धन करना व उनके लिये पशु चिकित्सालय पशुशाला की व्यवस्था करना व उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित करने व जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

25- प्रदेश मे तेजी से लुप्त मूल प्रजाति गौवंश रक्षा संवर्द्धन विकास व गौशाला की स्थापना करना एवं उसके द्वारा स्थापित सेमिनार आदि में भाग लेना व सहयोग करना।

26- समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चलचित्र बनाना, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों को पल जन-जागृति शिविरों, कला प्रदर्शनी का आयोजन करना तथा प्रौढ शिक्षा, अनऔपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, बालाश्रम, उन्मूलन कार्यक्रम, गरीब उनमूलन तथा सरकार का सहयोग करना।

27- समाज की निर्धन कन्याओं की शादी करना व उनका सहयोग करना, दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन करना एवं परित्याक्ताओं व विधवाओं को पुर्नविवाह हेतु प्रेरित करना तथा युवक-युवतियों का परिचय सम्मेलन करना एवं कराना।

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad

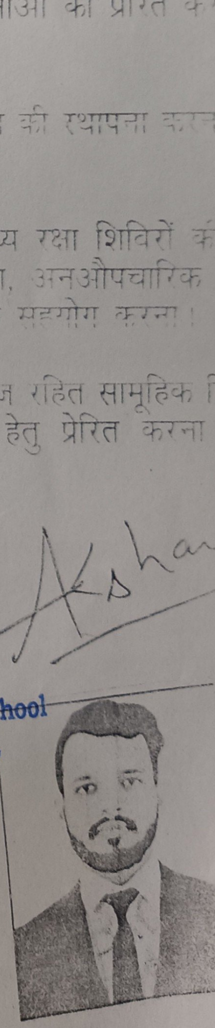

इस संस्था की रजिस्ट्री के समय निम्नलिखित ट्रस्टी होंगे :-

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद/	पूरा पता
1-	**श्री रमेश चन्द यादव** (आधार कार्ड संख्या-xxxx xxxx 3138)	स्व0 श्री हरी सिंह यादव	अध्यक्ष/ प्रबंधक	डी-120,डी-ब्लॉक, प्रताप विहार, खोडा कालोनी, गाजियाबाद।
2-	**श्रीमती सुषमा यादव** (आधार कार्ड संख्या-xxxx xxxx 4308)	श्री रमेश चन्द यादव	उपाध्यक्ष/ उप-प्रबंधक	डी-120,डी-ब्लॉक, प्रताप विहार, खोडा कालोनी, गाजियाबाद।
3-	**श्रीमती करिश्मा यादव** (आधार कार्ड संख्या-xxxx xxxx)	श्री शिवम यादव	सचिव	एस.डी.-354, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।
4-	**श्री अक्षय यादव** (आधार कार्ड संख्या-xxxx xxxx 4308)	श्री रमेश चन्द यादव	कोषाध्यक्ष	डी-120,डी-ब्लॉक, प्रताप विहार, खोडा कालोनी, गाजियाबाद।

1- ट्रस्ट में सभी सदस्य, ट्रस्टी आजीवन रहेंगे। यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट छोडना चाहता है तो तीन महीने पूर्व नोटिस देगा। भविष्य में ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट में किसी भी अन्य व्यक्ति को सदस्य/ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

2- यदि कोई सदस्य ट्रस्ट से पृथक होना चाहें अथवा उसका स्वर्गवास हो जाए अथवा उपरोक्त ट्रस्ट शेष सदस्यों/ट्रस्टी द्वारा उसे अक्षम अयोग्य घोषित कर दिया जाये तो वह व्यक्ति ट्रस्टी नहीं रहेगा बोर्ड के सभी निर्णय सदस्यों/ट्रस्टियों की सर्वसम्मति से लिये जायेगे।

3- ट्रस्ट के कार्यों के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी समस्याओं का निर्णय सर्वसम्मति से किया जायेगा। ट्रस्ट बार्ड उपयुक्त तथा उचित समझने पर सम्बंधित कार्यो के निर्वहन हेतु अपनी सहायता के लिए उपसमितियां तथा परामर्श दाता समिति का गठन कर सकता है और आवश्यकतानुसार बोर्ड सम्बन्धित समिति को निश्चित समय के लिए यथा सम्भव अधिकार भी दे सकता है।

4- ट्रस्टी बोर्ड ट्रस्ट के कार्यों हेतु नियम व उपनियमों की स्वयं की रचना करेगा तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनमें परिवर्तन, परिवर्धन तथा संशोधन करने की शक्ति भी तय करेगा तथा उपरोक्त सभी को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उपरोक्त सभी प्रकार की सेवा करने वाले व्यक्तियों को उचित भत्ता की व्यवस्था भी कर सकता है।

5- ट्रस्ट बोर्ड को ये अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी दान, सहायता, चाहे यह सहायता नकद अथवा चल-अचल सम्पत्ति के रूप में हो, को स्वीकार कर सकता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की कोई सहायता अथवा दान ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं मूल सिद्धान्तों के विपरीत न हों, ट्रस्ट के कोष में अतिरिक्त धन होने पर राष्ट्रीकृत बैंक में ही जमा किया जायेगा तथा चल व अचल सम्पत्ति जो ट्रस्ट को प्राप्त होगी उसे अधिकृत रूप से प्राप्त किया जायेगा। तथा उसे आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य मिलने पर हस्तान्तरण किया जा सकेगा।

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad

6- ट्रस्ट एवं स्कूल के कोष के लिए किसी भी राष्ट्रीयतकृत बैंक में खाता खोला जायेगा। यह खाता आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि के लिए चालू खाता अथवा सावधि खाता किसी भी रूप में खोले जा सकते हैं, इन खातों का संचालन केवल कोषाध्यक्षं के हस्ताक्षर द्वारा संचालित होंगे।

7- ट्रस्ट के धन को बैंक में इस प्रकार से जमा किया जायेगा जो कि समय-समय पर यथा संशोधन आयकर अधिनियम 1951 की धारा 11 की उपधारा 5 में स्पष्ट किये गये हैं। अन्य संस्थाओं को भी यथासम्भव सहायता कर सकता है।

8- ट्रस्ट के सदस्यों की शंका की दशा में इस बात का विनिश्यच करने की शक्ति होगी कि क्या धन या सम्पत्ति की इस विलेख के प्रयोजन के लिए पूंजी या आय माना जाये और क्या आय या पूंजी में से कोई व्यय या सर्व संदत या वहन किया जाना चाहिए तथा ऐसा प्रत्येक विनिश्चय आय देकर तथा निर्णायक होगा। किन्तु इसमें अनर्विष्ट कोई भी बात ट्रस्ट के सदस्यों को इस विलेख द्वारा अप्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए ट्रस्ट की आय या संग्रह की प्रयोग में लाने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं मानी जायेगी।

9- इस विलेख के ट्रस्ट सदस्य तत्समय ट्रस्ट अथवा इस विलेख की शक्तियों के निष्पादन में या उसके बारे में किये गये सभी व्ययों की उनके पास की निधि या धन में स्वयं प्रतिपूर्ति कर सकते है। और अदायगी कर सकते हैं।

10- इस विलेख के तथा उन नियमों, विनियमों तथा उपविधियों, के जो समय समय पर ट्रस्ट बोर्ड द्वारा बनाये जायें, उपबंधों के अध्यधीन ट्रस्ट बोर्ड या उसकी कार्य पालिका समिति या कोई भी समिति या उप समिति या काई अन्य निकाय या उसका कोई भी पदाधिकारी या एक या एक से अधिक ट्रस्ट के सदस्य ट्रस्ट का प्रबन्ध और प्रशासन चलायेंगे और सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसे सभी कार्य और बातें करेंगे जो आवश्यक हों।

क) नकद या वस्तु के रूप में दान, अनुदान या अभिदान प्राप्त करना। नकद दान लेने के दशा व ट्रस्ट से सम्बन्धित अन्य सभी खर्चों में रसीद/स्लिप आदि पर धनराशि अंकित होगी व पूरा लेन-देन रिकॉर्ड सुरक्षित कोषाध्यक्ष की जिम्मेंदारी व देखरेख में रहेगा व समय-समय पर ट्रस्टियों के सामने आवश्यकतानुसार दिखाया जाएगा।

ख) ट्रस्ट के किसी भी धन को जो उसके प्रयोजनों के लिए तुरन्त अपेक्षित न हो, प्रतिभूतियों में या किसी ऐसी अन्य रीति में जो समीचीन समझी जाये, विनियोजित करना और उसके सम्बन्ध में व्यवहार करना।

ग) इस विलेख के ट्रस्ट को चलाने के लिए कोई समिति, उपसमिति, विशेषज्ञ और परामर्शी या व्यक्तियों या अभिकर्ता । अटर्नी, जो वह आवश्यक समझें ऐसे पारिश्रमिक पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर वह उचित समझे, नियुक्त करना और ट्रस्ट के उद्देश्यों की कार्योन्वित करने के लिए ऐसे व्यय करने और इस प्रयोजन के लिए ट्रस्ट के किसी सदस्य को नियुक्त करने और प्रतिपूर्ति करने की शक्ति सहित ऐसी सब शक्तियों से उन्हें विनिहित करना।

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
... Colony,

घ) न्यायालय में या उसके बाहर सब वाद कार्यवाहियों और अन्य कार्यवाहियों की संस्थिति करना, अभियोजित करना, प्रतिरक्षा करना, तय करना, समझौता करना और सब मतभेद और मांगें तय करना और ऐसे कोई या सब वाद, कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियां, मतभेद और मांगे मध्यस्थ को निर्दिष्ट करना। और ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी लेखा का समायोजित और तय करना तथा उससे सम्बंधित सब बातें करना।

ड) ट्रस्ट के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति या सम्पत्तियाँ क्रय करना किराये पर लेना, पट्टे पर लेना और निर्माण करना।

च) ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर उचित समझी जायें, धन उधार लेना और दायित्व करना और ऐसे ऋणों और हितों के लिए प्रतिभूति देने हेतु उसके सम्बन्ध में ऐसे करार, हस्तान्तरण पत्र विलेख और बातें करने के लिए प्राधिकृत करना।

छ) ट्रस्ट निधि का सत्समय भाग बनने वाली किसी अचल सम्पत्तियों में सुधार करने मरम्मत करने या परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति सहित ऐसी राशि में जो वह उचित समझे उसकी या उनकी व्यवस्था करना और किसी भी प्रकार के पट्टे मन्जूर करना या नवीनीकरण करना और पट्टो का अभ्यर्पण स्वीकार करना।

ज) ऐसे निबन्धों और शर्तों पर जो वह उचित समझे ट्रस्ट निधि के तत्समय भाग बनने वाली किसी चल या अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों का विक्रय या उन्हें समनुदेशित करना और प्रयोजन के आनषंगिक या सहायक ऐसे सब काम करना जो आवश्यक हो।

11- किसी कठिनाई विवाद या मतभेदी दशा में इस ट्रस्ट के किन्ही भी चार ट्रस्ट्रियों का निर्णय अन्तिम होगा, किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु के पश्चात ट्रस्ट के सदस्य, ट्रस्ट के उत्तराधिकारी को पदाभिहित करेंगे और इस विलेख को लागू करने के सम्बन्ध में एवं ट्रस्टी इस विलेख के निर्वचन के बारे में किसी कठिनाई विवाद या मतभेद की दशा में उनका विनिश्चय अंतिम होगा।

12- इस विलेख के ट्रस्ट के सदस्यों तथा कार्यपालिका समिति या किसी अन्य समिति या उपसमिति या समिति के सदस्यों, विशेषज्ञों, परामर्शियों पदाधिकारियों, कार्यपालिका के पदाधिकारियों या स्टाफ को ट्रस्ट के निष्पादन, कार्यान्वियन और उसको पूरा करने के लिए ट्रस्ट को निधि में ट्रस्ट के सदस्यों के विवेकानुसार रकम जमा की जा सकेंगी।

13- ट्रस्ट के सदस्यों किसी स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों में ऐसे किसी अनय ट्रस्ट, संस्था या धर्मार्थ संस्था को जिसके उद्देश्य इस विलेख के उद्देश्य के समान हैं, इस आश्य और प्रभाव के साथ कि ऐसा अन्य ट्रस्ट, संस्था या धर्मार्थ संस्था इस विलेख द्वारा सांजिल न्याय का अनिवार्य अंग माना जायेगा, इस विलेख द्वारा संजिन इस न्यास के साथ सभा में आज से अक्षय एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसाइटी को ट्रस्ट मे शामिल कर रहे हैं। सोसाईटी का सारा काम व स्कूल को ट्रस्ट चलाएगी एवं कोई भी वैधानिक कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात करने और मन्जूरी देने हेतु स्तन्त्र होंगे परन्तु ऐसी कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी और जिनमें इस ट्रस्ट के नाम में परिवर्तन अर्न्तवलित हो या जो ट्रस्ट के उद्देश्यों से असंगत या प्रतिकूल हों।

14- यदि किसी कारणवश ट्रस्ट समाप्त हो जाता है तब ऐसी दशा में इस ट्रस्ट की सभी सम्पत्ति जो भी दायित्व या देनदारी के बाद बच जाती है वह ट्रस्टी ना बॉटकर बल्कि किसी ऐसी ही संस्था या ट्रस्ट को जिसके उद्देश्य इसी ट्रस्ट के अनुरूप हो, को सौंप दी जायेगी।

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

15- आज निष्पादन की तारीख पर उपर्युक्त ट्रस्ट के नाम कोई भी अचल सम्पत्ति नहीं है। इस ट्रस्ट के द्वारा किसी भी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है।

16- कोई भी ट्रस्टी, ट्रस्ट की धनराशि अथवा ट्रस्ट के किसी भी भाग से अथवा चल अचल सम्पत्ति से अपने निजी/अपने किसी वारिसान/अपने किसी पारिवारिक का कोई निजी फायदा नहीं पहुँचाएगा एवं बिना किसी लाभ व हानि इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनकर समाज सेवा/ट्रस्ट के कार्य करता रहेगा।

17- यह कि किसी भी ट्रस्टी या सदस्य को अध्यक्ष/प्रबंधक व संरक्षक की सहमति से पृथक किया जा सकता है।

18- यह कि ट्रस्ट उक्त के पास आज दिन तक किसी भी प्रकार की कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति नहीं है तथा न ही ट्रस्ट के आधार पर किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति का ट्रांसफर किया जा रहा है एवं इस ट्रस्ट डीड मे ट्रस्ट उक्त का जो कार्यालय दिखाया गया है, वह ट्रस्ट की अपनी निजी सम्पत्ति नहीं है।

19- यह कि ट्रस्ट उक्त की प्रारिम्भक धनराशि 11,000/-रूपये है।

अतः हम अपनी स्वस्थ इन्द्रियों, स्वस्थ मस्तिष्क व स्वस्थ चित्त रहते हुए अच्छी सेहत व सही दिमागी हालत में खूब सोच समझ कर यह ट्रस्ट नामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

....

गवाह नं01

श्री मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री वीर सिंह निवासी ग्राम खोडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

डी.एल.नम्बर- UP 14 20092781206

गवाह नं02

श्री गया प्रसाद पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी सी-9, संगम पार्क, खोडा कालौनी, गाजियाबाद।

आधार कार्ड संख्या-xxxx xxxx 3075

दिनांक 10-05-2024 ई0 मसौदा योगेश यादव, एडवोकेट, चैम्बर नम्बर-ए-7, तहसील सम्पादक, गाजियाबाद।

Principal
H.S. Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Seconda
Pratap Vihar Khora Co
Ghaziabad

आवेदन सं०: 202400739042515

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 1677 के पृष्ठ 379 से 398 तक क्रमांक 389 पर दिनाँक 13/05/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भीम रतन प्रभारी

उप निबंधक : सदर द्वितीय

गाजियाबाद

13/05/2024

प्रिंट करें

उप रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद